पूर्वोत्तर प्रभाग, गृह मंत्रालय के संबंध में नागरिक चार्टर

अधिदेश

पूर्वोत्तर प्रभाग 8 राज्यों अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम से मिलकर बने पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह से संबंधित मामलों तथा इन क्षेत्र में सक्रिय विभिन्न विद्रोही समूहों के साथ वार्ता बांग्लादेश व म्यांमार के साथ द्विपक्षीय वार्ता सहित पूर्वोत्तर राज्यों की आन्तरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति का कार्य देखता है।

विजन

समाज की आकांक्षाओं की पूरा करने तथा सुदृढ़, स्थायी और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के विकास हेतु शांति और सौहार्द आवश्यक पूर्वोपेक्षाएं हैं।

मिशन

सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही गतिविधियों से निपटने के लिए बहु-आयामी नीति का अनुसरण कर रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अग्रलिखित शामिल है –(i) उग्रवादी समूहों के साथ वार्ता करने की इच्छा बशर्ते कि वे हिंसा छोड़ दें, भारतीय संविधान के ढांचे के भीतर अपनी मांगों के निराकरण की मांग करें तथा समाज की मुख्य धारा में आएं तथा (ii) जो तत्व हिंसा और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में निरंतर लिप्त हैं, उनके विरुद्ध सतत विद्रोह-रोधी अभियान चलाना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, केन्द्रीय सरकार विभिन्न उपायों यथा विद्रोह-रोधी अभियानों में राज्य प्राधिकारियों को सहायता प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती और खतरे के आकलन के आधार पर अति संवेदनशील संस्थानों और संस्थापनों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था; खुफिया जानकारी सांझा करना; पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत स्थानीय पुलिस बल और खुफिया एजेंसियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता; सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के माध्यम से विद्रोह-रोधी अभियानों की विभिन्न पहलुओं के लिए सहायता की व्यवस्था, इंडिया रिजर्व बटालियन के रूप में अतिरिक्त बलों का गठन करने और आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास नीति के अंतर्गत आत्म-समर्पण करने वाले व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने आदि के माध्यम से राज्य सरकार को सम्पूरित करती है।

फ्रंट लाइन क्षेत्र

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई समूहों के साथ किए गए विभिन्न समझौतों का कार्यान्वयन।
- असम और इसके पड़ोसी राज्यों के बीच अंतर्राजीय सीमा विवाद।
- पूर्वोत्तर राज्यों के सुरक्षा संबंधी व्यय से संबंधित दावे।
- बांग्लादेश और म्यांमार के साथ द्विपक्षीय वार्ता
- पूर्वोत्तर राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति और विद्रोही गतिविधियों की मॉनीटरिंग।
- पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आत्म समर्पण और पुनर्वास नीति।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1967 और सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम,1958 का क्रियान्वयन।
- सेना/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सिविक कार्यक्रम की योजना।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न विद्रोही समूहों के साथ शांति वार्ता।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में हेलिकॉप्टर सेवओं के लिए पूर्वोत्तर राज्यो को सब्सिडी।
- ब्रू प्रवासियों का पुनर्वास।
- तिब्बती शरणार्थियों के सुरक्षा संबंधी मुद्दे।
- पूर्वोत्तर राज्यों में नई परियोजनाओं को सुरक्षा संबंधी स्वीकृति प्रदान करना।
- पूर्वोत्तर में आरएपी/पीएपी/आईएलपी के बारे में नीतिगत मुद्दें।

पूर्वोत्तर प्रभाग ऐसे विषयों को नहीं देखता है जिनमें सीधे जनता से संपर्क करना होता है। इस प्रभाग के नियंत्रण में कोई अधीनस्थ गठन या स्वायत्त निकाय मौजूद नहीं है। इस प्रभाग द्वारा प्रशासित कार्यो व योजनाओं को राज्य सरकारों के माध्यम से प्रचालित किया जाता है। इस प्रभाग द्वारा जारी महत्वपूर्ण अधिसूचनाओं को गृह मंत्रालय के वेबसाइट पर डाला जाता है और भारत के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है।

पूर्वोत्तर प्रभाग में अनुभाग-वार कार्य आबंटन अनुलग्नक (क) एवं आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी की सूची अनुलग्नक (ख) पर उपलब्ध है।

अनुलग्नक (क)

पूर्वोत्तर प्रभाग में कार्यरत अधिकारियों का कार्य आबंटन

I. पूर्वोत्तर -I अनुभाग

(क)

1. नागालैंड और मेघालय से संबंधित सभी मामले।
2. नागा विद्रोही समूहों के साथ युद्ध विराम और लोधी स्टेट में आवास को रखे रखने की समीक्षा सहित नागा शांति वार्ता।
3. मेघालय में एएनवीसी और एएनवीसी/बी के साथ समझौता ज्ञापन और उससे जुड़े मामले।
4. अध्यक्ष सीएफएमजी की नियुक्ति, सीएफएमजी के अध्यक्ष और स्टाफ की नियुक्ति की अवधि को आगे बढ़ाना।
5. सिविक एक्शन कार्यक्रम।
6. पूर्वोत्तर में आरएपी/पीएपी/आईएलपी के संबंध में नीतिगत मुद्दे।

(ख)

1. मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित सभी मामलें।
2. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय योजना तथा आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति तथा संबंधित मामले।
3. केएनओ और यूपीएफ के साथ अभियान निलंबन/ग्राउंड रूल्स का कार्यान्वयन।
4. केसीपी (लेम्फेल), केवाईकेएल, यूटीएलए (एसके थोडो), यूपीपीके और यूआरएफ के साथ समझौता ज्ञापन।
5. मणिपुर के गैर-सरकारी संगठनों का सत्यापन।
6. बेजबरुआ समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन और उससे जुड़े मामलें।

II. पूर्वोत्तर-II अनुभाग

1. मिजोरम से संबंधित सभी मामलें।
2. अरुणाचल प्रदेश में चकमा शरणार्थियों से संबंधित मामलें।
3. पूर्वोत्तर राज्यों में हेलिकॉप्टर सेवाएं के लिए योजना।
4. भारत और म्यांमार के बीच राष्ट्रीय बैठकों एवं संयुक्त कार्य समूह से संबंधित मामले।
5. ब्रू (रियांग) प्रवासियों का पुनर्वास व उनके लिए पुनर्वास योजनाएं।

III. **<u>पूर्वोतर-III अनुभाग</u>**

(क)

1. पूर्वोतर प्रभाग के समस्त समन्वय कार्य
2. विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के मंत्रिमंडल नोट के मसौदे पर प्राप्त टिप्पणियां।
3. गृह मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों से संबंधित विषय।
4. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, पूर्वोतर परिषद एन.ई.एस.आई.डी.एस. और परामर्शदात्री समिति आदि से संबंधित समिति से संबंधित मामलें।
5. पूर्वोत्तर प्रभाग की वार्षिक रिपोर्ट और कार्य योजना।
6. पूर्वोत्तर प्रभाग का समग्र बजट एवं लेखापरीक्षा संबंधी विषयों की मॉनीटरिंग।
7. एआरसी की सिफारिशें, टास्क फोर्स की सिफारिशें, राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन, पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन के विषय।
8. पूर्वोत्तर की उपलब्धियां/महत्वपूर्ण कार्यक्रम/सामायिक रिपोर्ट व रिर्टन।
9. मणिपुर में कथित हत्याओं से संबंधित उच्चतम न्यायालय का मामला तथा न्यायमूर्ति हेगड़े आयोग से संबंधित मामले।
10. विभिन्न पोर्टलों अर्थात सीपीजीआरएएम, ई-समीक्षा, प्रगति, वीएलएमएस, एलआईएमबीएस की मॉनीटरिंग और उनका अद्यतन।
11. सतर्कता संबंधी स्वीकृति और इससे संबंधित अन्य विविध मामलें।
12. लंबित आश्वासनों पर समिति की बैठक और लंबित आश्वासनों की मॉनीटरिंग।
13. पूर्वोत्तर राज्यों में विकास परियोजनाओं हेतु सुरक्षा कवर।
14. एनई डिवीजन के बीच कार्य आवंटन/प्रस्तुत करने के चैनल का प्रस्ताव।

IV <u>पूर्वोत्तर IV अनुभाग</u>

1. असम में विद्रोह संबंधी मामलें तथा अन्य मामलें।
2. असम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी प्रवासियों से संबंधित मामलें।
3. भारत और बांग्लादेश के बीच राष्ट्रीय स्तर (गृह मंत्री और गृह सचिव स्तर), संयुक्त कार्य समूह और अन्य बैठकों से संबंधित मामले और इससे जुड़े अन्य मामले।

4. असम में एनआरसी का अद्यतन।
5. पीआईएफ/एमटीएफ योजना से संबंधित मामलें।
6. असम में विदेशी विषयक अधिकरणों से संबंधित योजना।
7. अवसंरचना विकास के लिए बीटीसी, के.ए.सी.सी. एवं एन.सी.एच.ए.सी. को भुगतान।
8. मिजोरम के मुआवजे(किराये) के दावों से संबंधित अदालती मामलें।
9. असम समझौता का कार्यान्वयन, बोडो समझौता, यूपीडीएस समझौता, डीएचडी समझौता इत्यादि का कार्यन्वन और संबंधित मामले
10. लोकल कमीशन से संबंधित सभी मामले और असम व उसके पड़ोसी राज्यों के बीच अंतर-राज्य सीमा विवादों से संबंधित अदालती मामलें।
11. असम के पहाड़ी जिलों और उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में संविधान की छठी अनुसूची और संबंधित मामलें।

V. <u>पूर्वोत्तर - V अनुभाग</u>

1. त्रिपुरा में विद्रोह और कानून व्यवस्था संबंधी मामलें, विद्रोहियों के साथ विशेष बजट घटक के अंतर्गत आत्मसर्मण करने वाले विद्रोहियों का पुनर्वास।
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र में सशस्त्र बल (विशेष बल) अधिनियम के अंतर्गत मानव अधिकार का उल्लंघन के संबंध में संयुक्त राष्ट्र के संपर्ककर्ताओं से संबंधित मामलें।
3. सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 का कार्यान्वयन और इससे संबंधित मामलें।
4. गैर-कानूनी कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 का कार्यान्वयन, गैर-कानूनी संघ/आतंकी संगठन की अधिसूचना जारी करना और गैर-कानूनी निवारण अधिकरणों का गठन करना।
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र में एकीकृत कमान मुख्यालय के बारे में आदेश जारी करना।

VI. पूर्वोत्तर -VI अनुभाग

1. सिक्किम राज्य से संबंधित सभी मामलें।
2. पासपोर्ट जारी करने के उद्देश्य से नागा और अन्य पूर्वोत्तर निवासियों के लिए सुरक्षा मंजूरी।
3. दलाई लामा और तिब्बत से संबंधित मामलें।
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र के सी.पी.एम.जी. मामलें।

*****

अनुलग्नक (ख)

पूर्वोत्तर प्रभाग में आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अपीलीय अधिकारी और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी की सूची

क्रम सं.	नाम	पदनाम	कमरा सं.	दूरभाष सं.	ई-मेल
1.	श्री पियूष गोयल	पूर्वोत्तर प्रभाग में सभी सीपीआईओ के लिए अपर सचिव-सह-अपीलीय अधिकारी	171-A, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली - 110001	23092736 (का.)	jsne@nic.in
2.	श्री एन.आर. मिंज़	उप सचिव (पूर्वोत्तर-I) - सह-सीपीआईओ	93-D, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली - 110001	23092506 (का.)	nr.minz@nic.in
3.	श्री आर.के. पांडे	उप सचिव(पूर्वोत्तर-II) - सह-सीपीआईओ	222-C, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली - 110001	23092956 (का.)	raj.pandey@gov.in
4.	श्री कृष्ण मोहन उप्पू	उप सचिव(पूर्वोत्तर-III)- सह-सीपीआईओ	216-A, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली - 110001	23092485 (का.)	krishanm.uppu@nic.in
5.	श्री वाई.पी. नौटियाल	2-I/C(पूर्वोत्तर)-सह-सीपीआईओ	192-A, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली - 110001	--	yp.nautiyal@gov.in

* * *